LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings) Thursday, 03 December, 2015/12 Margshirsha, 1937 (Saka)

No. 24 2.02 P.M.

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.03 PM **Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition** sought to know about the fate of the Notice of Calling Attention given by him under Rule-54.

The Chair stated that no notice of calling attention had been admitted for the day.

Sh. Pankaj Pushkar & Shri Jagdish Pradhan also sought to know the fate of their notices for calling attention

The Chair stated that he was not allowing any notices other than the listed items as the House had to dispose off important business.

- 2. 2.11 PM Special Mention(Rule-280):- The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-
 - 1. Sh. Jitender Singh Tomar
 - 2. Sh. Som Dutt
 - 3. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
 - 4. Sh. Hazari Lal Chauhan
 - 5. Sh. Vijender Gupta
 - 6. Sh. Jagdish Pradhan
 - 7. Sh. Anil Kumar Bajpai
 - 8. Sh. Raju Dhingan
 - 9. Sh. Girish Soni (The Chair greeted the Member on his birthday)
 - 10. Ms. Bhavna Gaur
- 3. 2.40 PM **Sh. Anil Kumar Bajpai** raised an issue of pending dues owed by Ex MLAs towards DUSIB department on account of letting out premises to NGOs. The Chair directed the Minister to enquire into such matters.
- 4. 2.48 PM Shri Surender Singh drew the attention of the Chair towards the attack on the Minister of Transport in the Assembly Complex on 02.12.2015 by persons who were allowed to enter on the reference of Shri Pankaj Pushkar. Other members of the ruling party also joined him and demanded action against Shri Pankaj Pushkar.

The Speaker stated that he was deeply disturbed by the unfortunate incident of the previous day and briefly narrated the sequence of events. He informed the House that the matter had been referred to the Delhi Police.

Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister also made a brief statement on the incident.

Shri Vijender Gupta demanded that action should also be taken against the persons who had obstructed the Media from covering the incident.

The Chair stated that he will take necessary action if he receives complaint from the concerned media personnel.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister also made a brief statement.

- 5. 3.31 PM Shri Vijender Gupta and Shri Jagdish Pradhan walked out in protest
- 6. 3.32 PM **Adoption of Report:**

Shri Naryan Dutt Sharma moved the following Motion:

"That this House agrees with the *First Report* of Ethics Committee (VI Legislative Assembly, NCT of Delhi) presented in the House on 2nd December, 2015."

The Motion was put to vote and was adopted by voice-vote.

7. 3.34 PM **Paper laid on the Table**:-

Sh. Satyendar Jain, Minister of Power laid the copy of the Annual Accounts along with Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year ended 31st March, 2015.

8. 3.35 PM **Motion under Rule-107**:-

1. Ms. Bhavna Gaur moved the following Motion under Rule-107:

"In pursuance of the recommendations contained in the First Report of the Ethics Committee of Sixth Legislative Assembly, this House decides that Rs.18560/- be recovered from the pay of Shri Om Parkash Sharma towards the cost incurred in replacing the mike damaged by him. This House also warns Shri Om Parkash Sharma not to resort to such misconduct in the House again."

The following Members participated in the debate:

- 1. Shri Vijender Gupta
- 2. Ms. Alka Lamba
- 3. Shri Somnath Bharti
- 4. Shri Jarnail Singh (Rajouri Garden)
- 5. Shri Madan Lal
- 6. Shri Rajesh Gupta

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister also made a brief statement.

The Motion was put to vote.

And adopted by voice vote.

- 9. 4.05 PM The Chair adjourned the House upto 4.35 P.M. for Tea Break.
- 10. 4.40 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in- Chair.

11. 4.41 PM 2. **Sh. Saurabh Bhardwaj** moved the following Motion under Rule-107: "That this House discuss the Report of Fourth Delhi Finance Commission and the Government's Explanatory Memorandum on its recommendation".

The following Members participated in the debate:

- 1. Shri Jarnail Singh (Rajouri Garden)
- 2. Shri Vijender Gupta

Hon' ble Speaker also gave his views.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the debate.

12. 5.12 PM **Passi**

Passing of Bills:

1. The "Minimum Wages (Delhi Amendment) Bill, 2015." introduced in the House on 26 November, 2015 by Sh. Gopal Rai, Minister of Labour was considered clause-wise.

The Minister moved the following amendments to the Bill:

Amendment of Section 2 of Act 11 of 1948. — In sub-section (b) (ii) of section 2 of the Minimum Wages Act, 1948 (hereinafter "Principal Act"), in its application to the National Capital Territory of Delhi the words "[State Government]" the words "Government of the National Capital Territory of Delhi" shall be substituted.

Amendment of Section 22 of Act 11 of 1948.-In Section 22 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both" shall be substituted with the words "shall be punishable with imprisonment for a term of three years, or with fine of fifty thousand rupees, or with both."

The Motion was adopted by voice vote.

Sh. Gopal Rai, Minister of Labour moved that the amended "Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015." introduced on 26 November, 2015 be passed.

The Motion was adopted by voice vote. The amended Bill was passed.

2. "The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015" introduced in the House on 26 November, 2015 by Sh. Gopal Rai, Minister of Labour was considered clause-wise.

The Minister moved the following amendments to the Bill with the leave of the House:

Amendment of sub-section (c) of section 2 of the Central Act No. 45 of 1955. — After the words "other person employed" the words "including contractual employee" shall be interested.

Amendment of section 13 of the Central Act No. 45 of 1955. — After the words "every working journalist" the words "including contractual employees" shall be inserted

Sh. Gopal Rai, Minister of Labour moved that "The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015" introduced on 26 November, 2015 be passed as amended.

The Motion was adopted by voice vote. The amended Bill was passed.

13. 5.30 PM <u>Introduction, Consideration & Passing of Bills:</u>

Shri Manish Sisodia, Dy. Chief Minister introduced the following Bills with the leave of the House.

- 1. "THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION ETC.)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 18 OF 2015)"
- 2. "THE MINISTERS OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 19 OF 2015)"
- 3. "THE SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 20 OF 2015)"
- 4. "THE LEADER OF OPPOSITION IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 21 OF 2015)."
- 5. "THE SALARY AND ALLOWANCES OF THE CHIEF WHIP IN LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 22 OF 2015)."

Dy. Chief Minister moved the aforesaid Bills be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

Dy. Chief Minister made a brief statement.

The following Members participated in the debate:-

- 1. Shri Sanjiv Jha
- 2. Ms. Sarita Singh
- 3. Shri Akhilesh Pati Tripathi
- 4. Shri Parveen Kumar
- 5. Shri Som Dutt

(The House agreed to extend the sitting upto 6.30 P.M.)

- 6. Shri Ved Prakash
- 7. Shri Amanatullah Khan
- 8. Shri Jarnail Singh (Rajouri Garden)
- 9. Shri Jagdish Pradhan
- 10. Shri Vijender Gupta

(6.19 PM: BJP Members walked out in protest)

11. Shri Satyendar Jain, Minister of PWD

14. 6.40 PM Statement by Minister of Social Welfare: Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Social Welfare announced that the Government had constituted a three member Commission of Enquiry to receive complaints from victims of sexual harassment or stalking or voyeurism as had been resolved by the House on 4 August 2015. He stated that the Commission would be headed by Shri Dinesh Dayal, Retired District Judge.

15. 6.44 PM Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister replied to the debate on the consideration of the Salary and Allowances Bills.

The Bills were considered clause-wise.

(The House agreed to extend the sitting upto 7.00 P.M.)

The Dy. Chief Minister moved that the Bills be passed.

The Motion was put to vote.

Shri Somnath Bharti demanded division of votes on the Motion.

57 Members voted in favour of the Motion by standing up at their seats. No Member voted against the Motion or abstained.

The Motion was adopted. The Bill was passed.

16. 7.02 PM The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Friday, 04 December 2015.

Delhi 03 December, 2015 Prasanna Kumar Suryadevara Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

समाचार भाग–1 कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख वीरवार, 03 दिसम्बर, 2015/मार्गशीर्ष 12, 1937(शक)

संख्या—24 2.02 बजे

• श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1 2.03 बजे

श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने नियम-54 के तहत उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण की सूचना के बारे में जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज ध्यानाकर्षण की किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया गया है। श्री पंकज पुष्कर तथा श्री जगदीश प्रधान ने भी ध्यानाकर्षण के संबंध में उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के बारे में जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे कार्य सूची में सूचीबद्ध बिंदुओं के अतिरिक्त किसी अन्य सचना की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि सदन में महत्वपूर्ण कामकाज निपटाया जाना है।

2 2.11 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280):

- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए:-
 - भ. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
 - 2. श्री सोम दत्त
 - 3. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
 - 4. श्री हजारी लाल चौहान
 - 5. श्री विजेन्द्र गुप्ता
 - 6. श्री जगदीश प्रधान
 - 7. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
 - 8. श्री राजू धिंगान
 - 9. श्री गिरीश सोनी (अध्यक्ष महोदय ने श्री गिरीश सोनी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी)
 - 10. सुश्री भावना गौड़
- 3 2.40 बजे
- * श्री अनिल कुमार बाजपेयी ने एक पूर्व विधायक के संबंध में, एन.जी.ओ को परिसर किराये पर देने के कारण दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के बकाया लम्बित होने का मामला उठाया।

अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

2.48 बजे

श्री सुरेन्द्र सिंह ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को विधान सभा परिसर में उन व्यक्तियों द्वारा परिवहन मंत्री पर हमले की ओर दिलाया जिनको श्री पंकज पुष्कर के निर्देश पर परिसर आने की अनुमति दी गई थी।

सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों ने भी इस विषय को उठाया तथा श्री पंकज पुष्कर के विरूद्ध

कार्यवाही की मांगी की।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अत्यधिक चिंतित हैं तथा उन्होंने घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने सदन को सूचित किया कि यह मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। श्री गोपाल राय, माननीय मंत्री ने भी इस घटना के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता ने उन व्यक्तियों के विरूद्ध कारवाई की मांग की, जिन्होंने मीडिया को यह घटना कवर करने से रोका था।

•अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि संबंधित मीडियाकर्मी से शिकायत प्राप्त होती है, तो वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया। 3.31 बजे 5

3.32 बजे 6

प्रतिवेदन पर सहमति : श्री नारायण दत्त शर्मा, माननीय सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया : कि यह सदन दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत आचार समिति (छठी विधान सभा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के प्रथम प्रतिवेदन से सहमते है। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

3.34 बजे 7

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :-🗣 श्री सत्येन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पृथंक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत की।

3.35 बजे 8.

नियम-107 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

- सुश्री भावना गौड़ ने नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया : कि छठी दिल्ली विधानसभा की आचार समिति के प्रथम प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों की अनुपालना में, यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा के वेतन से 18560/- रूपये उनके द्वारा तोड़े गये माइक को बदलने में आई लागत के लिए वसूले जायें। यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा को चेतावनी भी देता है कि सदन में पुन: इस प्रकार का कदाचार न करें। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :
 - श्री विजेन्द्र गुप्ता
 - सुश्री अलका लाम्बा
- श्री सोमनाथ भारती
 - श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)

- 6. श्री मदन लाल
- 7. श्री राजेश गुप्ता

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने भी संक्षिप्त वक्तव्य दिया। भ्रिस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

- 9 4.05 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु अपराहन 4.30 बजे तक के लिये स्थिगित की।
- 10 4.40 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अधिक वृष्टिका विकास का किर्माणी अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- 11 4.41 बजे 2. श्री सौरभ भारद्वाज ने नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

 कि यह सदन चौथे दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा इसकी सिफारिशों पर

 सरकार के व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा करता है।

 निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :
 - 2. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
 - 3. श्री विजेन्द्र गुप्ता

ुअध्यक्ष महोदय ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये। श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12 5.12 बजे विधेयकों को पारित करना :

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13)" पर खण्डवार विचार किया गया।

श्रम मंत्री ने विधेयक में 1948 के अधिनियम 11 की धारा 2 तथा धारा 22 में संशोधन हेतु विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ। संशोधित विधेयक पारित हुआ।

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)" पर खण्डवार विचार किया गया।

श्रम मंत्री ने वर्ष 1955 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा की उप धारा (ग) और वर्ष 1955 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 13 में संशोधन हेतु विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुर:स्थापित "कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)" को पा्रित किया जाए। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

13 5.30 बजे

विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार व पारित करना:

संशोधित विधेयक पारित हुआ।

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित विधेयक प्रास्थापित किए :

भ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 18)

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 19)

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 20)

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 21)

 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के मुख्य सचेतक के वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 की विधेयक संख्या 22)

•उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उपरोक्त विधेयकों को पारित किया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ। उप मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

- 1. श्री संजीव झा
- 2. सुश्री सरिता सिंह
 - 3. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
 - 4. प्रवीण कुमार
 - 5. श्री सोंम दत्त

(सदन ने 6.30 बजे तक बैठक की अवधि बढ़ाने पर सहमति दी)

- 6. श्री वेद प्रकाश
- 7. श्री अमानतुल्ला खां
 - 8. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
 - 9. श्री जगदीश प्रधान
 - 10. श्री विजेन्द्र गुप्ताः

(6.19 बजे : भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया)

11. श्री सत्येन्द्र जैन, लोक निर्माण विभाग मंत्री

14 6.40 बजे

समाज कल्याण मंत्री द्वारा वक्तव्य:

श्री संदीप कुमार, समाज कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने यौन शोषण या निजता के उल्लंघन के पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जैसा कि दिनांक 4 अगस्त, 2015 को सदन द्वारा संकल्प किया गया था। उन्होंने बताया कि श्री दिनेश दयाल, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष होंगे।

15 6.44 बजे

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने वेतन एवं भत्ते संबंधी विधेयकों पर चर्चा का उतर दिया।

विधेयकों पर खण्डवार विचार हुआ।

(सदन ने 7.00 बजे तक बैठक की अवधि बढ़ाने पर सहमति दी)

उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयकों को पारित किया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रंखा गया। श्री सोमनाथ भारती ने प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। 57 सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। किसी भी सदस्य ने विरोध में मत नहीं दिया या तटस्थ नहीं रहे। प्रस्ताव स्वीकार हुआ। विधेयक पारित हुआ।

16 7.02 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2015 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थिगत की।

दिल्ली 03 दिसम्बर, 2015 प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव